


03.07.19 अधिवक्ता अपी. व राजकीय अधिवक्ता उपी.
मूल प्रकरण के साथ फगावली दिनांक
24.07.19 को पेश है।


जिला कलेक्टर


बीदा

24.07.19 अधिवक्ता उद्यमपत्र उपस्थित। मूल प्रकरण के साथ
फगावली दिनांक क्रिनोड 07.08.19 को पेश है।


जिला कलेक्टर

बीदा

07.08.19 अधिवक्ता उद्यमपत्र उपस्थित। जर्जना पत्र स्वगत
से संबंधित मूल अपील का निस्तारण हो चुका
है इसलिए विचाराधीन प्रकरण जर्जना पत्र के
आगे चलाये जाने का औचित्य नहीं है।
अतः विचाराधीन जर्जना पत्र स्वगत खारिज
किया जाता है। फगावली फैसला कुमार दौडर
नाथल से कम हो रहे संबंध मूल अपील
पत्रावली ही जावे। क्रिये राज दिनांक
07.08.19 को भेरे द्वारा खुले न्यायालय के
सुनाया गया।


जिला कलेक्टर

बीदा

